Revision Petition N0. /2014
Date of filing: 29. 04.2014

BEFORE THE HON'BLE BOARD OF REVENUE M.P.CAMP AT INDORE

मि. 1443 - PBR/14

श्री जे. आर. पिपट अभिभाषक द्वारा कैम्प इन्दौर पर प्रस्तुत 29/4/14 रीडर

Raj rajeshwari Vradhashram
Through organizer – Shiv Giriji

- - -Petitioners
(Original Non-Applicants)

V/s

State of M.P. through
Naib Tehasildar, Tappa Mandhata
Distt. Khandwa(M.P.)

Respondents
(Original Applicant)

REVISION UNDER SECTION 51 OF M.P. LAND REVENUE CODE 1959, BEING AGGREIVED BY ORDER DATED 04.04.2014 PASSED BY NAYAB TEHSILDAR MANDHATA DISTRICT kHANDWA, IN REVENUE CASE NO. 175A/68/2011-12 STATE VS RAJ RAJESHWARI VRADHASHRAM.

Respectfully showeth,

Brief facts involved in the revision petition are as under:-

BRIEF FACTS

1. The respondent has issued show cause notice dated 03.02.2014 under section 248 of M.P. Land Revenue Code 1959 against petitioner seeking the relief of eviction from 100x 50 of survey No 2/1 situated at village Mandhata Distt. Khandwa.

2 Petitioners filed reply to the application and submitted that the govt. has issued permission to petitioner to draw water from river Narmada and further alleged that state has also allotted land for the purpose of plantation. It was further submitted that once the petitioner has allotted l...

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R1543–पीबीआर / 2014 जिला खण्डवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30–4–2014	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 4–4–2014 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । नायब तहसीलदार के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27–1–2014 के पालन में अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही की जा रही है । आवेदक की ओर से तहसील न्यायालय में इस आशय की आपत्ति उठाई गई है कि म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे सक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 162 के तहत प्रश्नाधीन भूमि लीज पर देने संबंधी मांग की गई है, अतः तहसील न्यायालय द्वारा कार्यवाही स्थगित की जाये, किन्तु उनकी ओर से तहसील न्यायालय सहित इस न्यायालय में इस संबंध में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है कि उनके द्वारा संहिता की धारा 162 के अंतर्गत किसी प्रकार की कोई कार्यवाही की जा रही है । अतः नायब तहसीलदार द्वारा आवेदक का संहिता की धारा 32 सहपठित धारा 162 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त करने में प्रथम दृष्टया विधिसंगत कार्यवाही की गई है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (स्वदीप सिंह) अध्यक्ष	